न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
जमानत आवेदन सं0 – 325/2026
जदिया थाना कांड सं0– 28/2025

	चंदन कुमार उर्फ चन्देश्वरी कुमार, पे0 बिनोद यादव **सा0– परसाही, वार्ड नं0 12, थाना– त्रिवेणीगंज, जिला–सुपौल.....आवेदक** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी**	
06/06/26	काराधीन अभियुक्त चंदन कुमार उर्फ चन्देश्वरी कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विरेन्द्र कुमार झा द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1495/25 दाखिल किया गया था जिसे अस्वीकृत किया गया इसके अलावा अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त को ग्रामीण राजनीति के तहत् झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त का नाम कांड के सह–अभियुक्त अजय कुमार एवं मुकेश कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। प्रार्थी अभियुक्त के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है तथा सह–अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर कांड में उनकी संलिप्तता बताई गई है। कांड के सह–अभियुक्त मुकेश कुमार एवं अजय कुमार को माननीय उच्च न्यायालय पटना के क्रि0मि0 संख्या–46138/2025 एवं क्रि0मि0 संख्या–33505/2025 के तहत जमानत प्रदान की गई है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 17/04/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है, अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अबू जफर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाय। प्रस्तुत वाद, सूचक प्रवीण कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर धारा 309(4) B.N.S में दर्ज किया गया है। संक्षेप में सूचक का कथन है कि दिनांक 19/02/2025 को वह अपने मोटरसाईकिल से बलुआ बाजार से त्रिवेणीगंज लौट रहा था। समय लगभग 15:30 बजे रास्ते में क्वार्टर चौक से आगे बढ़ा कि एक स्पलेंडर प्लस मोटरसाईकिल रजि0 नंबर–BR50V5871 पर सवार तीन व्यक्ति सूचक को ओवरटेक करके रोका और बोला जो भी समान है निकालो। सूचक द्वारा मना किये जाने पर लोहा का कट्टा निकालकर उसके कनपट्टी पर सटाकर बोला जो भी समान है निकालो। इतने में एक व्यक्ति उसके जेब से ओपो कंपनी का मोबाईल और सात हजार रूपया निकाला और बोला कि किसी को बताया तो जान से मार दूँगा। फिर तीनों व्यक्ति छातापुर की ओर भाग गया। सूचक ने तीनों व्यक्तियों का हुलिया भी बताया है। सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सूचक से हथियार के बल पर मोटरसाईकिल एवं मोबाईल लूटने के आरोप में दर्ज कराया गया है। प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है, उनका नाम कांड के सह–अभियुक्तगण अजय कुमार एवं मुकेश कुमार के स्वीकारोक्ति बयान कंडिका 11 एवं 12 के आधार पर आया है। कांड दैनिकी के कंडिका 78 एवं 79 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा इनके पास से कोई बरामदगी नहीं है। कांड दैनिकी के कंडिका 92 से स्पष्ट होता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा कांड के सह–अभियुक्त अजय कुमार एवं मुकेश कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है एवं प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1495/2025 दाखिल किया गया था जिसे पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि कांड के सह–अभियुक्तगण अजय कुमार एवं मुकेश कुमार जो दिनांक 20.02.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में थे, उनको माननीय उच्च	**लगातार**

न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
जमानत आवेदन सं0 – 325 / 2026
जदिया थाना कांड सं0– 28 / 2025

06/06/26 **लगातार**	न्यायालय पटना के कि0मि0 संख्या–46138 / 2025 एवं कि0मि0 संख्या–33505 / 2025 के मार्फत जमानत प्रदान की गई है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 17 / 04 / 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा यह भी स्पष्ट होता है कि कांड के जमानत प्राप्त सह–अभियुक्तों की तुलना में प्रार्थी अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा की अवधी काफी कम है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थी अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अन्य जमानत प्राप्त सह अभियुक्तों की तुलना में कम है। अतः प्रार्थी अभियुक्त **चंदन कुमार उर्फ चन्देश्वरी कुमार** की ओर से दाखिल **जमानत आवेदन स्वीकृत** इस शर्त के साथ किया जाता है कि आवेदक अभियुक्त अपना बंध पत्र आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात् निम्न न्यायालय के संतुष्टिकारक मो0 10,000 / – रूपये के समान राशि के दो जमानतदारों के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। 1. प्रार्थी अभियुक्त का एक जमानतदार उसके माता / पिता / नजदीकी रिस्तेदार होंगे। 2. प्रार्थी अभियुक्तगण बंध पत्र दाखिल करते वक्त विद्वान निम्न न्यायालय में इस आशय का वचनबद्धता दाखिल करेगा कि वह भविष्य में इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा, यदि पाया गया, तो विद्वान निम्न न्यायालय प्रार्थी अभियुक्त बंध पत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होगें। 3. प्रार्थी अभियुक्त के द्वारा यह कथन किया गया है कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त को बंध पत्र पर मुक्त करने के पश्चात् प्रार्थी अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का सत्यापन करा लेंगे एवं प्रार्थी अभियुक्त का यदि कोई आपराधिक इतिहास पाया जाता है तो विद्वान न्यायालय प्रार्थी अभियुक्त का बंधपत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। 4. प्रार्थी अभियुक्त वाद के विचारण में सहयोग करेंगे। लेखापित (राकेश कुमार–तृतीय) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	